चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं

बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने वारंटी अभियुक्तो के गिरफ्तार किया।

(1). चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह व उनके हमराही मुख्य आरक्षी संदीप देव द्वारा परिवाद न0 16/18 धारा 452,323,504,506,3(2)5, एससी एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त चुन्नू पुत्र चन्द्रपाल,मुकदमा न0 7373/22 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासीगण ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(2).उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना बरगढ़ व उनके हमराही आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा वाद सं0 169/2023 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त उमाशंकर पुत्र हरिश्चचन्द्र निवासी ग्राम अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में-

(1). उ0नि0 यूटी श्री उत्कर्ष सिंह थाना भरतकूप व आरक्षी रणवीर सिंह द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर पुत्र चुनवाद निवासी ग्राम बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप मे धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(2).उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा व उनके हमराही आरक्षी राहुल पुरी द्वारा अभियुक्त कपेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रामकिशोर द्विवेदी निवासी ग्राम साडा सानी थाना कमासिन जनपद बांदा को 15 अदद क्वाटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक सुशील कुमार पुत्र अजीत कुमार निवासी छेछरिहा तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट ने महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पत्नी अनुराधा पुत्री शिवशंकर निवासी निबहु जलालपुर थाना बबेरू जनपद बांदा लड़ाई झगड़ा करती है। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज

2.उ0नि0 श्रीमती गीता

3.महिला आरक्षी नीतू नायक

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2016 धारा 147,323,504,506 भादवि0 के आरोपी

अभियुक्त राजबहादुर सिंह पुत्र पुत्र भयंकर निवासी ग्राम गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). आज दिनाँक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2015 धारा 504,506 भादवि0 के अभियुक्त 1. श्रीराम पुत्र भोरेलाल 2.नंगा पुत्र झुल्लु 3. झुल्लू पुत्र भोरेलाल निवासीगण ग्राम सिकरी थाना राजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1500-1500/- रुपयेके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). आज दिनाँक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में थाना कोत0 कर्वी, थाना भरतकूप, थाना बहिलपुरवा व महिला थाना के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा महिला सम्बन्धित अपराध में पीडिता की बरामदगी जल्द से जल्द करें।

अर्दली रूम के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण सिंह,थानाध्यक्ष बहिलपुरवा राम सिंह,महिला थाना थानाध्यक्ष श्रीमती सविता सरोज एवं समस्त विवेचकगण उपस्थित रहें।